

ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 69/2024

तारीख दायर : 05-10-2024

तारीख पेशी : 20-11-2024

सदीप राणा पुत्र स्व0 जगन नाथ, निवासी मांजरा, डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र।

सदीप राणा पुत्र स्व0 जगन नाथ, निवासी मांजरा, डा0 पोलियां बीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम संदीप राणा पुत्र जगन नाथ है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल मल्लूवाल में संदीप कुमार पुत्र जगन नाथ दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल मल्लूवाल में संदीप राणा पुत्र जगन नाथ दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 66/2024

तारीख दायर : 15-10-2024

तारीख पेशी : 12-11-2024

कुलविन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री वचित्र सिंह, निवासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र।

कुलविन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री वचित्र सिंह, निवासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम अन्य दस्तावेज व महाल श्यामपुरा में वचित्र सिंह पुत्र कौडू पुत्र भूज है, लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल दुलैहड़, दुलैहड़ उपरला व महाल भडियारा में अतर चन्द पुत्र मेहर चन्द उपनाम कुडा दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख के महाल दुलैहड़, दुलैहड़ उपरला व महाल भडियारा में अतर चन्द उर्फ वचित्र सिंह पुत्र मेहर चन्द उपनाम कुडा दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इशतहार राजपत्र/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-12-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इशतहार आज दिनांक 20-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समार्हता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला रुना (हि0प्र0)।
